अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2002

का.आ. 1119(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 3 अक्तूबर,1997 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 698(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एम0 आर0 मोरारका- जी0डी0सी0 ग्रामीण अनुसंधान फाउन्डेशन, चारटर्ड बैंक बिल्डिंगस, द्वितीय तल, एम0जी0रोड., फोर्ट मुम्बई-400001 द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ ब्लॉक तथा झुंझुनू, सीकर और चुरु जिले के शेखावती क्षेत्र में ग्रामीण विकास परियोजना को कर निर्धारण वर्ष -1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ,

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 207.65 लाख रूपये से संशोधित करके 200.00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 329.74 लाख रूपये करने की सिफारिश की है,

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) एम0 आर0 मोरारका- जी0डी0सी0 ग्रामीण अनुसंधान फाउन्डेशन, चारटर्ड बैंक बिल्डिंगस, द्वितीय तल, एम0जी0रोड., फोर्ट, मुम्बई-400001 द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ ब्लॉक तथा झुंझुनू, सीकर और चुरु जिले के शेखावती क्षेत्र में चलाई जा रही ग्रामीण विकास परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र पिरयोजना अथवा स्कीम के रूप में विर्निदिष्ट करती है; तथा

(ख) दिनांक 3 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 698(अ0) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं नामतः

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 6 के कालम नं0 4 में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित अक्षरों, अंकों तथा शब्दों " 207.65 लाख रूपए" के स्थान पर अक्षर, अंक तथा शब्द " 329.74 लाख रूपए" (200.00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित) प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 317-2002/फा. सं. एन.सी.-90/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)